

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 455]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 22 अगस्त 2017—श्रावण 31, शक 1939

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2017

क्र. डी-15-45-2017-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24, सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6760/6631/14-1, दिनांक 11 अक्टूबर, 1962 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति, आष्टा के अन्तर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान, उस पर बने समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को नवीन मंडी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात्:—

स्थान

ग्राम मालीपुरा, डाबरी, हमीदखेड़ी, तहसील आष्टा, जिला सीहोर के निम्नलिखित खसरा नंबर की 39.719 हेक्टर भूमि का क्षेत्र:—

क्रमांक (1)	खसरा नंबर (2)	रकबा (हेक्टेयर में) (3)
1	मालीपुरा—1. 78/1	0.275
	2. 214/5/1क	2.082
	3. 214/5/1ग	17.084
	4. 214/5/2	3.237
	योग . .	22.678
2	डाबरी— 1. 239/1	11.517
	योग . .	11.517
3	हमीदखेड़ी—1. 342/1	1.185
	2. 342/3,342/4	4.339
	योग . .	5.524
	कुल योग . .	39.719

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—निजी कृषि भूमि.
दक्षिण में—ग्राम मरदाखेड़ी पहुंच मार्ग.
पूर्व में—शासकीय भूमि.
पश्चिम में—ग्राम हमीदखेड़ी की शासकीय भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2017

क्र. डी-15-45-2017-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd August 2017

No. D-15-45-2017-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declared the following area including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Ashta has been established by this department's Notification No. 6760/6631/14-1, dated 11th October, 1962 me shall be the Newlly market yard, namely:—

PLACE

An area of 39.719 Hectors land of below Mentioned Sarvey number at Gram Malipura, Dabri, Hamidkhedi in Tehsil Ashta of District Sehore.

S. No. (1)	Khasra No. (2)	Area (in Hector) (3)
1	Malipura—1. 78/1	00.275
	2. 214/5/1A	02.082
	3. 214/5/1/C	17.084
	4. 214/5/2	03.237
	Total . .	22.678
2	Dabri— 1. 239/1	11.517
	Total . .	11.517
3	Hamidkhedi—1. 342/1	01.185
	2. 342/3, 342/4	04.339
	Total . .	05.524
All Total . .		39.719

BOUNDED BY

On the North by—Private Agri. Land.
On the South by—Gram Mardakhedi Aproch road.
On the East by—Govt Land.
On the West by—Government Land of Hamidkhedi.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. DHURVE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2017

क्र. डी-15-45-2017-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24, सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक . . अगस्त, 2017 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र आष्टा जिला सीहोर के निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मंडी क्षेत्र घोषित करती है:—

क्षेत्र

(1) ग्राम पंचायत चाचरसी, डाबरी, गोपालपुर, तहसील आष्टा, जिला सीहोर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

(2) मंडी प्रांगण से 5 किलो मीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—

1. भगवानपुर, 2. जगन्नाथपुरा, 3. घनश्यामपुरा, 4. शंकरपुर, 5. जगमालपुर, 6. आनंदीपुरा, 7. अब्दुल्लापुरा, 8. किलेरामा,
9. बाऊपुरा, 10. मुरादपुरा, 11. दलपतपुरा, 12. शहवाजपुरा, 13. डोराबाद, 14. अलीपुर, 15. भाहदूरपुरा,
16. मालीपुरा, 17. अहमदपुर, 18. खेमपुर, 19. अरोलिया, 20. हकिमाबाद, 21. रज्जाकपुरा, 22. हमीदखेड़ी,
23. डाबरी, 24. काजीखेड़ी, 25. मूंदीखेड़ी, 26. गोपालपुर, 27. भमूरा, 28. डूका, 29. घनाना, 30. चाचरसी,
31. ताजपुरा, 32. पगारियाराम, 33. चन्नौठा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2017

क्र. डी-15-45-2017-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd August 2017

No. D-15-45-2017-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare that in the relation to the market yard declare vide this department's notification even number datedAugust, 2017 the following area of Ashta of District Sehore shall be market yard, namely:—

AREA

- (1) An area within the limit of Gram Panchayat at Chachrasi, Davri, Gopalpur in Ashta Tehsil of District Sehore.
 - (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the sub market yard, namely:—
1. Bhagwanpur, 2. Jagannathpura, 3. Ghanshaampura, 4. Shankarpur, 5. Jagmalpur, 6. Anandipura,
 7. Abdullapura, 8. Kilerama, 9. Baupura, 10. Muradpura, 11. Dalpatpura, 12. Shahwajpura,
 13. Dorabad, 14. Alipur, 15. Bhahdurpura, 16. Malipura, 17. Ahmadpur, 18. Khempur,
 19. Aroliya, 20. Kakimabad, 21. Rajjapura, 22. Hamdikhedi, 23. Davri, 24. Kajikhedi,
 25. Mundikhedi, 26. Gopalpur, 27. Bhamura, 28. Duka, 29. Dhanana, 30. Chachrasi,
 31. Tajpura, 32. Pagariyaram, 33. Channotha.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. DHURVE, Dy. Secy.